2022/235

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री महेन्द्रदान
निवासी गुरूकुल रोड धमानी
देलवाडा ब्लॉक नं. 01 आबूपर्वत
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 33 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.05.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 10.01.2022 एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि एन.जी.टी. प्रिन्सिपल बैंच न्यू दिल्ली के प्रार्थना पत्र संख्या 69/2016 में दिनांक 26.02.2019 की सुनवाई के दौरान उपवन संरक्षक आबूपर्वत, उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत एवं जिला कलक्टर सिरोही के द्वारा संयुक्त रूप से जवाब प्रस्तुत किया गया। अतः राजस्थान प्रदूषण बोर्ड द्वारा संयुक्त जवाब देने के सम्बन्ध में जारी पत्र की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 10.01.2022 एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि एन.जी.टी. प्रिन्सिपल बैंच न्यू दिल्ली के प्रार्थना पत्र संख्या 69/2016 में दिनांक 26.02.2019 की सुनवाई के दौरान उपवन संरक्षक आबूपर्वत, उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत एवं जिला कलक्टर सिरोही के द्वारा संयुक्त रूप से जवाब प्रस्तुत किया गया। अतः राजस्थान प्रदूषण बोर्ड द्वारा संयुक्त जवाब देने के सम्बन्ध में जारी पत्र की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उप[illegible] में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को [illegible]चित [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2023.03.01 13:13:41 IST Reason: SelfAttested (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner